ऐसी सोसाइटियों को परेशान करने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच करा कर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री साथ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (प्रो० एम० जी० के० मेनन): (क) यह सत्य है कि दिल्ली समाज कल्याण बोर्ड ने वर्ष 1989-90 के दौरान पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत शिव दुर्गा मंदिर समिति (रजि०) के लिए 38,175 रुपये की राशि स्वीकृत की, जिसमें से पहली किस्त के रूप में 12,000 रुपए की राशि जारी कर दी गई। यह सत्य नहीं है कि 26,175 रुपये की शेष राशि इस संस्था को दी जानी अभी बाकी है। लाभप्राप्तकर्ताओं की वास्तविक संख्या 185 से कम हो कर 50 होने तथा संस्था के कार्यक्रमों में अप्रत्याशित विसंगतियों को देखते हुए अनुदान राशि 38,175 रुपये से कम करके 10,050 रु० कर दी गई। तदनुसार संस्था को सूचित कर दिया गया और दिसम्बर, 1989 में अधिक भुगतान की गई 1959 रु. की राशि वापस करने के लिए कहा गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सैनी सांस्कृतिक शिक्षा समिति को अनुदानों का स्वीकृत किया जाना

838. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनी सांस्कृतिक शिक्षा समिति (पंजीकृत), सीलमपुर दिल्ली में चल रहे पोषण कार्यक्रम का दिसम्बर, 1989 में दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष तथा कल्याण अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था, तथा उक्त निरीक्षण कल्याण अधिकारी द्वारा जनवरी, 1990 में भी किया गया था तथा यह पाया गया था कि इस संस्था ने अनुदान की स्वीकृति संबंधी सभी आवश्यक अपेक्षाएं पूरी कर ली थीं किन्तु इसके बावजूद भी इस संस्था को अभी तक अनुदान संबंधी स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया गया है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संस्था को अनुदान स्वीकृत करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर हां है तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक ; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री साथ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (प्रो० एम० जी० के० मेनन): (क) दिसम्बर, 1989 में "सैनी सांस्कृतिक शिक्षा, समिति, (रजि०) सीलम पुर दिल्ली" के पोषाहार कार्यक्रम का निरीक्षण न तो दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया गया और न ही कल्याण अधिकारी द्वारा। यह भी सही नहीं है कि कथित निरीक्षण कल्याण अधिकारी द्वारा दोबारा जनवरी, 1990 में किया गया।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Payment of compensation to peasants of village Monga in Jammu and Kashmir

837. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any compensation has been paid to the farmers of village Monga in Tehsil Samba of Jammu and Kashmir whose land was taken for defence purpose; and